

सेवा में

A - 15

श्रीमान मुख्य न्यायाधिपति महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
प्रयागराज।

शिकायत—पत्र द्वारा—

1. अनवर अहमद पुत्र खलील अहमद उम्र 55 वर्ष
2. अब्दुल कलाम पुत्र वरकत अली उम्र 28 वर्ष  
निवासीगण—पोस्ट आफिस की पीछे, ज्ञानपुर, थाना  
ज्ञानपुर, जिला भदोही।

माननीय महोदय,

1. शिकायतकर्ता परिवादी जनपद न्यायालय भदोही  
ज्ञानपुर में 20वर्ष एवं 15 वर्ष से कमशः संविदा पर सफाई कर्मचारी  
के रूप में कार्यरत है और संविदा पर रहते हुये भी प्रार्थीगण अपने  
कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं इमानदारी से करते चले आ रहे  
हैं।

2. यह कि दिनांक 29.01.2021 को समय लगभग 10.30  
बजे हम शिकायतकर्ता को भदोही में तैनात सिविल जज, सीनियर  
डिवीजन श्री अभिनव यादव ने अपने चपरासी से चैम्बर में बुलवाया  
जहां पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ज्ञानपुर चौकी इंचार्ज  
सुनील यादव को पहले से ही बुलाकर बैठा रखा था और कहा कि  
तुम लोगों ने मेरी स्टेनो नेहा सिंह के कुर्सी में पिन लगाया था,  
इसके कारण नेहा को पिन छुभा, तुम लोगोंने ऐसा क्यों किया। तब  
हम लोगोंने कहा कि श्रीमान् जी हम लोगों ने ऐसा कोई कार्य नहीं  
किया है जिस पर श्री अभिनव यादव सिविल जज, सीनियर डिवीजन  
ने अपने चैम्बर में बैठाये दरोगा सुनील यादव को ललकारा कि इन  
सालों को तब तक मारो जब तक कबूल न कर ले कि पिन इन्हीं  
लोगों ने लगाया है, तब चौकी इंचार्ज हम लोगों को 10-10 झापड़  
मारे और गाली दिये तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने  
कहा कि अपने अल्लाह की कसम खाकर कहो, नहीं तो बहुत पीटेगे  
इस पर हम लोगोंने गिड़—गिड़ाते रहे कि हम लोगोंने कोई गलती  
नहीं किया तो सिविल जज, सीनियर डिवीजन ने दरोगा से कहा कि

31 नवंबर

अंकुष्ठ लक्षण

ऐसे नहीं कबुलेगे इन्हें चार-चार झापड़ लगाओ इसके बाद चौकी इंचार्ज ने कहा कि भोसड़ी वाले सुन नहीं रहे हो और फिर चार-चार झापड़ मार कर एक कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिये।

3. यहकि श्रीमान् सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव ने कहा कि मेरी स्टेनो नेहा सिंह का पैर पकड़ कर माफी मांगो नहीं तो यहां से सीधे जेल भेजवा देगे।

4. यहकि उस दिन हम लोग रोते हुये नजारत में बैठे थे और केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह से सारी घटना बताया। केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह एवं डिप्टी नाजिर श्री आनन्द तिवारी ने अपने साथ हम लोगों को जिला जज साहब के यहां ले गये और जिला जज साहब को हम लोगों ने सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन जिला जज साहब ने कुछ नहीं किया।

5. यह कि दिनांक 01.02.2021 को सुबह 10.30 बजे श्रीमान जिला जज महोदय ने हम प्रार्थीगण को अपने चैम्बर में बुलाया और कई न्यायिक अधिकारियों, नाजिर, डिप्टी नाजिर की उपस्थिति में कहा कि तुम लोग कोई कार्यवाही करने की सोच रहे हो तो मन से निकाल दो नहीं तो जेल भेजवा दूँगा और नाजिर से कहा कि ले जाओं इन दोनों के खिलाफ एफआईआर करा दो।

6. यह कि श्रीमान सिविल जज, सीनियर डिवीजन श्री अभिनव यादव तथा दरोगा सुनील यादव ने प्रार्थीगण के मजहब के खिलाफ अपमानित करते हुये नेहा रानी का पैर पकड़ कर माफी मांगने के लिए मजबूर किया और हम लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाया।

7. यहकि प्रार्थीगण विगत 15-20 वर्ष से मात्र 6000/-रुपये पर पूरे कचहरी परिसर के सफाई का कार्य करते हैं और हमारी निष्ठा पर कभी किसी ने अंगुली नहीं उठायी, लेकिन जिला जज साहब ने श्री अभिनव यादव, नेहा रानी के कु-कृत्यों को छिपाने के लिए हम प्रार्थीगण की प्रताङ्कना शुरू कर दिया।

8. यहकि प्रार्थीगण ने मजबूर होकर अपने अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार के द्वारा मानवाधिकार न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया। जहां जज साहब ने हमारा परिवाद यह आदेश करके वापस

• ३८८  
• अष्टुलवंशाम्

किया कि सक्षम न्यायालय में इसे दायर करों। मैं इस शिकायत-पत्र के साथ परिवाद की छाया प्रति तथा अनवर व अब्दुल कलाम का शपथपत्र संलग्न कर रहा हूँ।

9. यह कि प्रार्थीगण द्वारा परिवाद दाखिल करने से जिला जज महोदय अत्यन्त नाराज हो गये हैं और हम दोनों को जिला जज ने दिनांक 12.02.2021 को एक-एक नोटिस दिया जिसका जबाब हम लोगोंने जिला जज महोदय को दिनांक 15.02.2021 को दे दिया। //उक्त दोनों नोटिस तथा प्रार्थीगण द्वारा दिये गये जबाब की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

10. यहकि प्रार्थीगण के परिवाद की पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा दरोगा सुनील यादव को सिविल जज, सीनियर डिवीजन के चैम्बर में भेजने के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, भद्रोही ने यह रिपोर्ट दिया है कि श्री प्रभाष त्रिपाठी, मजिस्ट्रेट के द्वारा दिनांक 29.01.2021 को सुबह 10.23 पर फोन करने पर श्री अभिनव यादव के चैम्बर में भेजा गया था। //पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

11. यहकि प्रार्थीगण के परिवाद में प्रार्थीगण अनवर व अब्दुल कलाम, केन्द्रीय नाजिर श्री राजेश सिंह तथा सिविल जज के अद्वाली का बयान हो चुका है जिनके बयानों की छायाप्रति संलग्न की जा रही है और मेरे परिवाद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भद्रोही ज्ञानपुर के यहां दर्ज करने के उपरान्त जिला जज महोदय ने सी0जे0एम0 को प्रताड़ित करना प्रारम्भ कर दिये हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं कि हम लोगों की परिवाद को खारिज कर दिया जाय।

12. श्रीमान् जिला जज महोदय ने इस घटना को दबाने व छिपाने के उददेश्य से हमारे परिवाद की पत्रावली में बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसमें मानवाधिकार न्यायालय में दो बार पत्र भेजकर पत्रावली मंगवायी और पीठासीन अधिकारी पर दबाव दिया कि किसी तरह इस मामले को खत्म करों। मूल पत्रावली जब मुझे वापस की गयी तो सी0जे0एम0 न्यायालय में दाखिल करने के पूर्व मैंने पूरी पत्रावली की छायाप्रति करायी है। //जिला जज साहब के दोनों पत्र इस शिकायत पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

३१-८२

अ/ठड़ल कल्याण

13. श्रीमान् जी हम लोग मुस्लिम हेला जाति के हैं जिसे समाज अत्यन्त हेय दृष्टि से देखता है। हम लोग के साथ की गयी हिंसात्मक कार्यवाही और जिला जज द्वारा ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देने का सम्पूर्ण साक्ष्य शिकायतपत्र के साथ संलग्न है।
14. \* अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि हम प्रार्थीगण को न्याय देने की कृपा करें।

दिनांक  
०१-०६-२१

प्रार्थीगण

31-02

अनुरोध पत्र/प्र